राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: cce_raj@yahoo.com Ph.: 0141-2706847(O);

पत्रांक : CCE/Admn./2020/Spl./13; Date: 3rd May 2020

## –:: कार्यालय आदेश ::–

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर में पदस्थापित/कार्यव्यवस्थार्थ कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों को निद्रेशित किया जाता है कि कोरोना महामारी के कारण मॉडीफाइड लॉक डाउन 3.0 (4 मई– 17 मई 2020) अवधि में राज्य सरकार के गृह विभाग के पत्रांक प.33(2)गृह–9/2019; दिनांक 02 मई 2020 की अनुपालना निम्नानुसार कार्मिकों को दिनांक 04 मई 2020 से कार्यालय में उपस्थित होना है –

1. आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर में पदस्थापित/कार्यव्यवस्थार्थ कार्यरत सभी अधिकारी संवर्ग (वित्ताधिकारी एवं लेखा शाखा के समस्त अधिकारी, संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, सह/सहायक आचार्य, उपविधि परामर्शी वं अन्य राजपत्रित संवर्ग के व्यक्ति) के कार्मिक उपस्थित होगे। इसके लिये शाखा/प्रकोष्ठवार आदेश संबंधित संयुक्त निदेशक/प्रभारी अधिकारी आज ही जारी करेंगे।
2. आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर में पदस्थापित/कार्यव्यवस्थार्थ कार्यरत सभी अराजपत्रित संवर्ग के कार्मिकों में से प्रतिदिन 33 प्रतिशत कार्मिकों ही रोटेशन बेसिस पर कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। इसके लिये दिवसवार कार्मिकों की उपस्थित हेतु शाखा/प्रकोष्ठवार आदेश संबंधित संयुक्त निदेशक/प्रभारी अधिकारी आज ही जारी करेंगे।
3. रोटेशन आधार पर कार्यालय बुलाये गये अशैक्षणिक कार्मिकों के अतिरिक्त अधिशेष अशैक्षणिक कार्मिकों की सेवाएं वर्क फ्रॉम होम आधार पर ली जा सकेगी। आवश्यकता होने पर कार्मिक को कार्यालय आने हेतु निर्देशित किया जा सकता है। अतः सभी कार्मिक सूचित रहें कि वे बिना पूर्वानुमति के मुख्यालय नहीं छोडेंगे।
4. सभी अधिकारीगण/कार्मिक राज्य सरकार द्वारा कोविद –2019 के संबंध में जारी सुरक्षात्मक निर्देशों यथा मास्क लगाकर आना, सोसियल डिस्टेन्सिंग, सेनेटाइजर्स का उपयोग आदि की पालना सुनिश्चित करें।

प्रदीप कुमार बोरड, IAS
आयुक्त कॉलेज शिक्षा

पत्रांक : CCE/Admn./2020/Spl./14-15; Date: 3rd May 2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
4. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
6. उप विधि परामर्शी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
7. समस्त प्रभारी अधिकारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
8. वैब प्रभारी को अपलोड/ई–मेल करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली ।

बी. एल. गोयल, RAS
अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा